


नम्बर व
अहकाम जो
हुकम की तामील
में जारी हुए

राजस्व आवेदन संख्या 286/2017

रामाराम बनाम सरकार

	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
22.06.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उप0। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने पुनर्विलोकन आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ने जो रास्ता कटाण का आदेश किया है। वह रास्ता मौजूदा समय में मौके पर चलायमान नहीं होने से कटाण किये गये रास्ते को आदेश को अपास्त किया जावे। हमने उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के निवेदन पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार शिव द्वारा उक्त रास्ता कटाण करने के संबंध में जो रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया तथा अपने प्रस्ताव में बताया की जो रास्ता कटाण हुआ वह वक्त सेटलमेन्ट से मौके पर चलता है तैयार प्रस्ताव बिलकुल सही एवं विधिसम्मत था उक्त रास्ता कटाण होने से लोगों के आवागमन की मौजूदा समय में अच्छी सहूलियत होने से रास्ते के विवाद का स्थायी समाधान हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन खारिज फरमाया जावे। साथ ही विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की उक्त आदेश अपीलैबल है, प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है तथा तहसीलदार शिव से दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी वह प्रस्तावित एवं स्वीकृत किये गये कटाण रास्ते को मौजूदा समय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना बताया है। साथ ही हमने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा कटाण किये गये रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण की आपत्ति पर दुबारा तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की। जिस पर तहसीलदार शिव स्वयं द्वारा हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक निम्बला को मौके पर लेजाकर वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक /भूअ./2018/2802 दिनांक 07.08.2018 को इस कार्यालय को भिजवाई है जो की उक्त कटाण किये गये रास्ते की पुष्टि करती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 27.06.2019 को सुनाया गया ।। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।  उपखण्ड अधिकारी शिव</p>	

Scanned by CamScanner

